

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

विश्वविद्यालय पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार गिरफ्तार



एम०सी० गुप्ता

जयपुर 22 अप्रैल। एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण में अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुये आज राजस्थान विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार एम०सी० गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस महानिरीक्षक (एसओजी) राजस्थान जयपुर, श्री दिनेश एम०एन० ने बताया कि वाणिज्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा के अनुभाग अधिकारी श्री नंदलाल सैनी से एम०कॉम फाईनल के एक प्रश्न पत्र निर्माता प्राध्यापक के नाम संबंधी गोपनीय सूचना प्राप्त कर अपने निकट संबंधी हेतु प्रश्न पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार श्री गुप्ता द्वारा नन्दलाल सैनी से प्रश्न पत्र निर्माता का नाम जानकर परीक्षा की गोपनीयता को भंग कर परीक्षा प्रणाली को दूषित करने के आरोप में इन्हे एस०ओ०जी ने लम्बी पूछताछ के पश्चात् गिरफ्तार किया गया है।

एसओजी के पुलिस अधीक्षक श्री संजय श्रोत्रिय ने बताया कि एसओजी ने पेपर लीक प्रकरणों में अब तक 18 मुल्जिम गिरफ्तार किये जा चुके हैं। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

राही/सन्तरा/324/2017

नोट:- उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

**हाई प्रोफाईल ब्लैक मेलिंग प्रकरण में एस0ओ0जी ने
फरार युवती को किया गिरफ्तार**

जयपुर 22 अप्रैल। पुलिस महानिरीक्षक (एसओजी) राजस्थान जयपुर श्री दिनेश एम0एन0, ने बताया कि 27 दिसम्बर, 2016 को परिवादी श्री लालचन्द कुमावत द्वारा एक गिरोह के विरुद्ध दुष्कर्म के प्रकरण का भय दिखाकर भारी राशि वसूलने के संबंध में एक प्रकरण एस0ओ0जी में दर्ज करवाया गया था। उक्त प्रकरण में एस0ओ0जी ने गिरोह में शामिल एक महिला (रानी परवीन हैदर शेख निवासी रामाबाई कॉलोनी, घाटकोपर, मुम्बई) को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में एस0ओ0जी द्वारा पूर्व में अखिलेश मिश्रा, गिरीश पंवार एवं पुष्णेर्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ व प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

राही/सन्तरा/325/2017

नोट:- उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

बोलेरो लूट के मामले का फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार



जयपुर 22 अप्रैल। जिला भरतपुर के थाना नगर ने यदुराज नगर थाना मथुरागेट भरतपुर निवासी श्री भयामसिंह पुत्र भोबल जाति जाट ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध कस्वा नगर के पास प्रार्थी के हाथ—पैर बांधकर पटक जाने व प्रार्थी की बोलेरो गाड़ी नम्बर आरजे 05 यूपी 5674 व कागजात तथा 5400 रुपये को लूट कर ले जाने का एक मामला 10 अगस्त, 2015 को थाना नगर पर पंजीवद्व कराया था।

श्री विश्णुमहेश स0उ0नि0 ने बाद अनुसंधान उक्त मामले के फरार आरोपी मोहनसिंह पुत्र रमचंद्री जाति जाटव निवासी खैडा थाना कैथवाडा को गिरफ्तार किया गया है।

80 किलो गौमांस बरामद

जयपुर 22 अप्रैल। थाना खोह ने आज शनिवार को थाना खोह पर जरिये मुख्यिर सूचना मिली कि शाविर में 6–7 जनें जंगल गांव रूँधखोह में गाय को काट रहे हैं। इस सूचना पर थानाधिकारी श्री भोजाराम उ0नि0 मय जाप्ता के जंगल गांव रूँधखोह पहुचे तो गांव रूँधखोह निवासी शाविर वगैराह 7 जने गाय का बध करते हुये दिखाई दिये जो पुलिस पार्टी को देख सभी मौके से भाग गये। जिस पर पुलिस ने मौके से लगभग 80 किलो गौमांस, सींग, खुर आदि गाय के अवशेष व एक कुल्हाड़ी को जप्त कर फरार गौतस्करों के खिलाफ थाने पर आरबीए एक्ट में दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है।

राही/सन्तरा/326/2017

नोट:- उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।